

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
138/2024

दायर दिनांक  
02.12.2024

निर्णय दिनांक  
14.02.2025

- अनवान
1. किशनलाल पिता स्व० सोहनलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  2. गोदुलाल उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र स्व० सोहनलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  3. जमनाबाई पत्नी स्व० सोहनलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  4. भगवानलाल पुत्र गंगाराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  5. लीलाबाई पुत्री सोहनलाल पत्नी राधेश्याम जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा हाल निवास देवीपुरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

- बनाम
- प्रार्थीगण
1. प्रभूलाल पिता देवजी जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  2. शंकरलाल पिता देवजी जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  3. मोहनी पत्नी स्व० देवीलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  4. भैरूलाल पुत्र स्व० कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  5. नौजी पत्नी स्व० कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  6. भगवानी पत्नी स्व० पन्नालाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  7. मगनीराम पुत्र स्व० शंकरलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  8. प्रभूलाल पुत्र स्व० शंकरलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  9. गुलाबी पत्नी स्व० शंकरलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  10. अण्छी पत्नी जयराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री वी०एस०गौड़  
एकतरफा

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण



सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

-:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 51 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 111, 112, 113, 114, 137, 159, 162, 401, 402, 403, 404, 405, 406 कुल किता 13 कुल रकबा 1.61 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 51 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 111, 112, 113, 114, 137, 159, 162, 401, 402, 403, 404, 405, 406 कुल किता 13 कुल रकबा 1.61 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड-अधिकारी  
कपासन कपासन चित्तौड़गढ़